W-43

न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर।

अपील संख्या:--405/2020 (जीसीएमएस नं. 2020/00341)

1. जगदीश पुत्र स्व0 श्री गणेश, जाति बलाई, निवासी ग्राम मालावाला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

——अपीलार्थी

बनाम

1. श्री प्रभुदयाल ,
2. श्री दामोदर,
3. श्री रामकल्याण, पुत्रान रामगोपाल,
4. श्री रामकरण पुत्र श्री रामनाथ (भृतक दौराने अपील) जिला जयपुर।

4/1. श्रीमति रामा देवी धर्मपत्नी स्व. श्री रामकरण,

4/2. श्री दिनेश पुत्र श्री स्व. श्री रामकरण,

4/3. श्रीमति ममता पुत्री स्व. श्री रामकरण, धर्मपत्नी श्री राजू, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम टीबा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

4/4. श्रीमति ललीता पुत्री स्व. श्री रामकरण, धर्मपत्नी श्री कमलेश, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

5. श्री बृजमोहन पुत्र श्री रामनाथ जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम मालावाला तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

..... रेस्पोडेन्ट्स

6. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
7. आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
8. ग्राम पंचायत रूपवास, जरिये सचिव, पंचायत समिति रूपवास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

..... प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनाक 24.02.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2014 के विरूद्ध अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम मालावाला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर स्थित साबिका खसरा नम्बर 45/149 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा बंजड भूमि समस्त राजस्व भू–अभिलेखों में सिवायचक बिला लगानी अंकित थी तथा दिनांक 15–6–1973 को साबिका खसरा नम्बर 45/149 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा में से 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि अपीलार्थी के पिता श्री गणेश पुत्र अमरा बलाई को एवं 2 बीघा भूमि श्री काना पुत्र श्री नानगा नायक को आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर भूमिहीन

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

काश्तकार होने की वजह से तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा आवंटित की गई थी एवं उक्त आवंटन आदेश दिनांक 15–6–1973 की पालना में दिनांक 20–4–1978 को गैरखातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 112 स्वीकृत कर 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि का वास्तविक एवं भौतिक कब्जा आवंटी श्री गणेश पुत्र श्री अमरा बलाई को आवंटन के पश्चात् तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा विधिवत् रूप से सम्भलाये जाने के बाद से आज दिनांक तक अपीलार्थी के पिता एवं अपीलार्थी अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उक्त भूमि पर निरन्तर एवं निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट् संख्या 6 तहसीलदार जमवारामगढ़ द्वारा दिनांक 08–12–2004 को नामान्तरकरण संख्या 304 स्वीकृत कर अपीलार्थी के पिता गणेश पुत्र अमरा बलाई के नाम गैर–खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये, तत्पश्चात् श्री गणेश का देहान्त हो जाने के कारण उनकी खातेदारी की उक्त भूमि की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 310 दिनांक 20–5–2005 को अपीलार्थी एवं उसकी स्वर्गीय माता श्रीमति कुशली देवी धर्मपत्नी श्री गणेश बलाई के नाम स्वीकृत किया गया, तथा तहसील जमवारामगढ में भू–प्रबन्धन की कार्यवाही के दौरान अपीलार्थी को आवंटित की गई भूमि साबिका खसरा नम्बर 45/149 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 257 रकबा 0.58 हैक्टेयर कायम कर अपीलार्थी को समस्त राजस्व भू–अभिलेखों में खातेदार काश्तकार अंकित किया गया हैं उसके पश्चात् भी अपीलार्थी के उक्त आवंटन आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने कतई असत्य, अवैध एवं आधारहीन आक्षेप अंकित करते हुए एक आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970) अधिनियम के तहत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों की गलत व्याख्या करते हुए एवं मनमाना व अवैध निष्कर्ष अंकित करते हुए अपीलार्थी के पिता का नाम किये गये विधि सम्मत आवंटन को निरस्त फरमा दिया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी के पिता स्व. श्री गणेश पुत्र अमरा बलाई भूमिहीन कृषक थे जिनके पास अपनी खातेदारी में कोई भूमि नही थी और इसलिये उनके द्वारा आवंटन सलाहकार समिति में अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी, आमेर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिसे आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश एवं अनुशंषा के तहत स्वीकार कर ग्राम मालावाला पर राज्यादेशानुसार आयोजित राजस्व अभियान (भूमि आवंटन शिविर) दिनांक 15.06.1973 को साबिका खसरा नम्बर 45/149 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा में से 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया, अपीलार्थी के पिता श्री गणेश को आवंटन आदेशों की पालना में आवंटित भूमि का सीमाज्ञान कर उसकी चारों सीमाऐं कायम कर गैर खातेदारी का नामान्तरकरण आवंटन के पश्चात् दिनांक 20.04.1978 को स्वीकृत किया गया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि दिनांक 15–6–1973 को भूमि विवादग्रस्त साबिका खसरा नम्बर 45/149 रकबा 7 बीघा भूमि में से 2 बीघा 6

संभागीय आयुक्त
जयपुर

बिस्वा भूमि का आवंटन अपीलार्थी के पिता के साथ–साथ 2 बीघा भूमि श्री काना पुत्र नानगा नायक को भी आवंटित की गई थी। इस प्रकार 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि 2 अलग–अलग व्यक्तियों को आवंटित की गई तथा शेष 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि राजकीय सिवायचक भूमि के रूप में शेष रह गई। आवंटन आदेश की पालना में जब तक उक्त 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि को उपरोक्तानुसार तीन जगह विभाजित कर प्रार्थी को इसकी सीमाओं का ज्ञान करवाकर विधिवत् कब्जा नहीं सम्भलाया गया, तब तक उसके लिए आवंटित भूमि पर काश्त करना असंभव था और जैसे ही उक्त कार्यवाही निष्पादित हुई, उसके पश्चात् से प्रार्थी के पिता ने भूमि को काश्त करना प्रारम्भ कर दिया, जिसका स्पष्ट विवरण खसरा गिरदावरी सम्वत् 2035 से आज दिन तक निरन्तर अंकित चला आ रहा है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार रेस्पोडेण्ट संख्या 6 तहसीलदार जमवारामगढ़ स्वयं पक्षकार थे तथा जो भू–स्वामी एवं भू–अभिलेख अधिकारी भी है, ने उक्त दस्तावेज खसरा गिरदावरी से सम्वत् 2035 से सम्वत् 2071 का अवलोकन किये बिना ही अपीलार्थी/आवंटी का कब्जा–काश्त ना होना अंकित एवं जाहिर किया है, जो सरासर अवैध एवं पक्षपातपूर्वक की गई कार्यवाही है और अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों का वास्तविक परीक्षण किये बिना ही मात्र उक्त रिपोर्ट को आधार बनाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में कतई हास्यापद एवं बचकाना निष्कर्ष अंकित किया है कि आवंटी द्वारा प्रस्तुत आवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया एक ही दिन में आवंटन की कार्यवाही कैसे पूर्ण हो गई, जबकि कौरम पूर्ण नहीं था और ना ही आवंटन की नियमों की पालना होना साबित होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा प्रेषित आवंटन की पत्रावली का अवलोकन ही नहीं किया है और कतई अवैध रूप से मनमानी टिप्पणी एवं विधि विरूद्ध निष्कर्ष अंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। क्योंकि आवंटी द्वारा प्रस्तुत आवेदन विधिवत् रूप से अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति/ उप–जिलाधिकारी आमेर हैडक्वाटर, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसके पृष्ठ भाग पर विधिवत् रूप से पटवारी रिपोर्ट एवं आवंटन आदेश तथा आवंटन के पश्चात् स्वीकृत नामान्तरकरण व कब्जा सम्भलाये जाने की रिपोर्टस् अंकित है। किन्तु फिर भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं साक्ष्य को नजरअन्दाज करते हुए कतई अवैध निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय ने आवंटन की सम्पूर्ण प्रक्रिया को एक ही दिन में सम्पादित कर दिये जाने को भी अपने निर्णय का आधार बनाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनस्थ न्यायालय को आवंटन की प्रकिया का कोई ज्ञान नहीं है और इसी वजह से सुस्थापित प्रकिया के विपरीत निष्कर्ष अंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर विनम्र निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–12–2014 को निरस्त फरमाया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 15–6–1973 को बहाल फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के अधिवक्ता ने अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि प्रार्थना पत्र गणेश राम दिनांक 15.6.1973 बाबत आवंटन भूमि खसरा नम्बर 45/149 जिसका कुल रकबा 7.1/2 बीघा था उसमें बिना विभाजन के रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा का ग्राम मालावाला के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र रामसहाय पुत्र अमरा बलाई मालावाला के नाम से भरा गया है व रामसहाय का नाम काटकर गणेशराम लिखा गया है एवं उसी समय दिनांक 15.06.1973 को ही पटवारी की रिपोर्ट होकर उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन स्वीकार भी कर दिया गया है जबकि विधिवत कोई कार्यवाही नहीं की गई है, ना कोई आवंटन के नियमों की कोई पालना की गई है, भूमि आवंटन सम्बन्धी घोषणा (प्रोकेलेनेशन) किया जाना अनिवार्य था ये भी नही किया गया और ना ही आवंटन कमेटी के कोरम में कास्त किया गया, ना ही वाक्या स्थानीय सदस्य सरपंच पंचायत या विद्यायक की उपस्थिति व जानकारी में किया गया। और ना ही पटवारी हल्का से ये जानकारी की गई की भूमि आवंटन योग्य है अथवा नहीं है जबकि विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट के पूर्वज खुबा व उसके लडके रामगोपाल का पुस्तैनी कब्जा चला आ रहा है और व कानूनन खातेदार है और उनके हक में रेगुलराईज करने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक था जो नहीं की गई है और कब्जा हटाने के भी आदेश प्राप्त नही किये गये है और ना ही इस सम्बन्ध में पटवारी या सरपंच ग्राम पंचायत से जानकारी की गई है, रेस्पोडेन्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया, ना उनकी कोई जानकारी नही दी गई। ऐसा आदेश आवंटन क्षेत्राधिकार के बाहर होने से वाईड होने से निरस्त किये जाने योग्य ही था।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि विवादि भूमि खसरा नम्बर 45/149 रकबा 7.1/2 बीघा में 2 बीघा 6 बिस्वा का विवरण व स्थान नही बताया गया है व कौनसे स्थान पर आवंटन की गई है, सर्वप्रथम विभाजन किया जाकर एवं कब्जे सम्बन्धी जानकारी करके आवंटन किया जाना चाहिये था लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा ना करके कानून की अवहेलना की गई है। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त आवंटन, कमेटी में बगैर कोरम व निर्वाचित सदस्य की अनुपस्थिति में नियम विरूद्व उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया गया है, आवंटन कमेटी द्वारा नियमानुकुल नहीं किया गया है, अपीलार्थी ना तो आवंटित भूमि का काश्तकार है, ना ही कभी जीवन में उन्होने भूमि को काश्त किया और भूमि पर काबिज भी नही है, अन्य व्यक्तियों को खातेदारी के अधिकार के बिना पर कागजी कार्यवाही के आधार पर बेचान कर अनुचित लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है इस हेतु रेस्पोडेन्ट की कब्जेशुदा आराजी जिसको वह अपने बुर्जुगों के समय से काश्त करते आ रहा है उस पर खातेदारी इन्द्राज़ दर्ज कराकर बेस कीमती भूमि व कब्जेशुदा भूमि का हड़पना चाहता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तत्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलान्ट को

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

सुनवाई का अवसर दिया जाकर एवं प्रकरण का विधिवत रूप से परीक्षण करने के पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2014 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र में नही था तथा प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के नाम में भी कांट–छाट की गई है। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 19.11.2014 के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी जगदीश पुत्रान गणेश का कब्जा नही है तथा मौके पर भूमि नाले व गड्डे, खाड़े है जबकि आवंटन की शर्तों के अनुसार आवंटित भूमि को काश्त करना भी आवश्यक होता है। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा और अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किये गये है जिससे वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त साबित होता हों। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2014 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0समित शर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर